15.5.2023

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता एवं रेस्पो0 संख्या एक की ओर से केविएट पेश हुआ तथा उनकी ओर से श्री ईश्वरसिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्तागण को अपील पर की गई बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली/दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किया गया जिससे पाया गया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.03.2018 को उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा ग्राम लोहावट बिशनावास के खसरा संख्या 209 रकबा 100 बीघा भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.06.2022 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपील में वर्णित भूमि (खसरा संख्या 209 ग्राम लोहावट विशनावास) की तहसीलदार एवं भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अपील में वर्णित दोनों पक्षों एवं हितबद्ध खातेदारों को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में नये सिरे से पैमाइश करवाई जाकर उसके आधार पर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये थे।

न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 17.04.2023 को यह आदेश पारित किया कि "तहसीलदार लोहावट एवं प्रभारी अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग जोधपुर ग्राम लोहावट बी0बी0 के मूल खसरा संख्या 164/4 रकबा 30 बीघा व मूल खसरा संख्या 209 रकबा 100 व उसके बटटा नम्बर के सभी हितबद्ध खातेदारो के जरिये नोटिस सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में नये सिरे से भूमि की सीमाओं का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिहिन्त कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था पुलिस इमदाद ली जाकर मूल खसरा संख्या 164/4 व मूल खसरा संख्या 209 व उसके बटटा नम्बर की सीमाओं की पत्थरगढी करवाई जावें।" जबकि न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2018 व अपील में वर्णित भूमि खसरा संख्या 209 ग्राम लोहावट विशनावास की तहसीलदार एवं भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अपील में वर्णित दोनों पक्षों एवं हितबद्ध खातेदारों को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में पैमाइश करवाई जाकर उसके आधार पर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा पारित आदेश

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2023 को पारित उक्त आदेश विधि अनुकूल न पाये जाने के कारण प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2022 की पालना में विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15 मई, 2023 को सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त